भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 379
जिसका उत्तर शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

विधि पाठ्यक्रमों में क्षेत्रीय भाषा का उपयोग

379. डॉ. शशि थरुर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय भाषाओं में विधि पाठ्यक्रम चलाने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रस्ताव के संबंध में विभिन्न राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ परामर्श के दौरान प्राप्त फीडबैक का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह देखते हुए कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों से विधि स्नातकों की भर्ती करने में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विधि फर्मे अग्रणी हैं, सरकार ने छात्रों के लिए भर्ती और रोजगार अवसरों पर इसके संभावित प्रभाव पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों, जिनसे इस प्रस्ताव पर परामर्श किया गया है, के पास क्षेत्रीय भाषाओं में पर्याप्त पुस्तकालय और शैक्षिक संसाधन हैं और क्षेत्रीय भाषाओं में विधिगत विषयों को पढ़ाने के लिए प्रवीणता प्राप्त संकाय हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : इस विभाग द्वारा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ ऐसा कोई परामर्श नहीं किया गया है।

(ख) : राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विधि फर्म योग्यता और अंक के आधार पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयूएस) के विधि स्नातकों की भर्ती करते हैं तथा विधि स्नातकों की भर्ती करने के लिए अपने स्वयं के मानदंड/मानक का अनुसरण करते हैं और ऐसी भर्ती में सरकार की कोई भूमिका नहीं है ।

(ग) : राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, राज्य विधानों द्वारा सृजित किए गए हैं तथा प्रशासन और संकाय सदस्यों की भर्ती के मामलों में पर्याप्त रूप से स्वायत्तता का उपयोग करते हैं । ऐसे विषयों में केंद्रीय सरकार की कोई भूमिका नहीं है । इसी प्रकार, विधिक शिक्षा प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में संकायों की दक्षता और क्षेत्रीय भाषा संसाधनों के साथ राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों की पुस्तकालय का संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के विषय हैं, न कि केंद्रीय सरकार के ।

****